दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रावस्ती 22 फरवरी (भि0टा0सं0)। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी जमुनहा सतीश कुमार शर्मा के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष जयहरि मिश्रा थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती के नेतृत्व में मय पुलिस टीम के द्वारा थाना मल्हीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 029/2024 धारा 498A/304B व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. इवरान उर्फ इमरान पुत्र गुजरु निवासी टेपरा दा0 गजोबरी थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती को मुखविर की सूचना पर निवास स्थान टेपरा दा0 गजोबरी से गिरफ्तार किया गया। वादी (मृतका के पिता) निवासी पुरवा थाना नबाव गंज बहराइच के द्वारा थाना मल्हीपुर पर प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उनके द्वारा उल्लेखित किया गया कि उनकी लडकी को उसके पति व ससुरालीजन द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करके मार दिया गया है की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 029/2024 धारा 498A/304B IPC व 3/4 DP Act पंजीकृत किया गया जिसके क्रम में आज दिनांक 22.02.2024 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

फर्जी वरासत कराकर जमीन हड़पने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

श्रावस्ती 22 फरवरी (भि0टा0सं0)। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक को0 भिनगा महिमानाथ उपाध्याय मय पुलिस टीम ने थाना को0भिनगा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 470/21 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि से सम्बन्धित 3 अभियुक्तगण 1. विजय कुमार पुत्र कमला प्रसाद कमला प्रसाद पुत्र हरिराम कमला प्रसाद की पत्नी निवासीगण पटखौली थाना सिरसिया को दहाना तिराहा थाना कोतवाली भिनगा से गिरफ्तार किया। वर्ष 2021 में थाना सिरसिया क्षेत्र के ग्राम पटखौली की वादिनी की जमीन को उसके पिता की मृत्यु के बाद अभियुक्त उसके चाचा कमला प्रसाद पुत्र हरिराम तथा उसकी पत्नी जो कि वादिनी की भी माँ है,ने अपने पुत्र विजय कुमार के साथ मिलकर परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में हेर–फेर कर तथा अन्य फर्जी प्रपत्र तैयार कराकर जमीन को अपने नाम कर लिया था। उक्त वरासत होने की जानकारी होने पर वादिनी ने विजय कुमार पुत्र कमला प्रसाद कमला प्रसाद पुत्र हरिराम 3. कमला प्रसाद की पत्नी निवासीगण पटखौली थाना सिरसिया के विरूद्ध मु0अ0सं0 470/21 धारा 419/420/ 467/ 468/ 471/120बी भादवि पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना अपराध शाखा से सम्पादित करायी जा रही थी।